न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

कमलेश कुमार बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट

प्रकरण संख्या :– 27 / 2022

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2022 / 195

22.03.2022 यह पत्रावली वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत जरिये वकील श्री मदन ज्याणी के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करके प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 18.04.2022 को पेश हो।

Priyanka

18.4.22 पत्रावली पेश। श्रीमान पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश पर/ मुख्यालय से बाहर है । पत्रावली पूर्वानुसार दि. 31.5.22 को पेश हो।

31.5.22 पत्रावली पेश। वकील वादी उप. एवं राजपैरोकार उप। जवाब स्टेट हेतु अवसर देकर पत्रावली दि० 14.6.22 को पेश हो।

14/06/22 पत्रावली पेश। वकील वादी एवं राजपैरोकार उपस्थित। जवाब स्टेट प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। जवाब स्टेट में स्वयं राजपैरोकार ने भी वाद पत्र स्वीकार करने का अंकन किया है। वकील वादी ने निवेदन किया कि तनकीहात की कोई आवश्यकता नहीं है एवं

बिना कोई साक्ष्य पेश किए बहस करनी चाही। राज पैरोकार ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के पिता के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। वादी के पिता के देहान्त होने के बाद दस्तबरदारी / विरासतन नामांतरकरण द्वारा वादी एवं वादी के भाईयों के नाम दर्ज हुई। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम कमलेश कुमार दर्ज है। नामांतरकरण दर्ज करते समय राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी का नाम कमलेशचन्द्र दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरुस्त किया जाकर कमलेश कुमार दर्ज करने की घोषणा की जावे। राज पैरोकार ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया।

बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात पाया जाता है कि वादी के पहचान संबंधी समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम कमलेश कुमार ही दर्ज हैं एवं जवाब सेट में वाद पत्र स्वीकार करने का अंकन किया गया है। ऐसी

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति में वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील रावला के चक 14 KND-B के प.नं. 210/56 मु.क. 06 के किला नं. 1 ता 25 की कुल 6.074 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1012/3037 हिस्सा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम कमलेश चन्द्र पुत्र मुन्शीराम के स्थान पर दुरूस्त करते हुए कमलेश कुमार पुत्र मुन्शीराम दर्ज करने की घोषणा की जाती है एवं तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	
	(अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना	